

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - राजस्थान सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संक्षिप्त जानकारी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-राजस्थान सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दिनांक 19.02.2026 को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा गया है। प्रक्रिया के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल की गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति को भेजा गया है।

लेखापरीक्षा को संपादित करने का उद्देश्य

शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण से स्थिति और गंभीर हो गई है। अपशिष्ट के अपर्याप्त प्रबंधन के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों के संदर्भ में महत्वपूर्ण नकारात्मक बाहरी प्रभाव पड़ा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ठोस अपशिष्ट के निपटान और प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं और राज्य स्तर, शहरी स्थानीय निकाय और अपशिष्ट के उत्पादकों पर जिम्मेदारियां सौंपते हैं।

प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नीतियों, बुनियादी ढांचे, जन जागरूकता और हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह प्राधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों, अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों, समुदायों और व्यक्तियों की एक साझा जिम्मेदारी है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान की पूरी तरह से जांच की गई। इसमें संसाधनों की पर्याप्तता, उनका कुशल उपयोग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी का भी मूल्यांकन किया गया।

प्रमुख लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना

नमूना जाँच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकाय में से, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केवल छः शहरी स्थानीय निकायों में आईएसडब्ल्यूएम/एसबीएम 1.0 के तहत और 11 शहरी स्थानीय निकायों में एसबीएम 2.0 के तहत तैयार की गई थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	आईएसडब्ल्यूएम/एसबीएम 1.0		एसबीएम 2.0	
	राज्य	चयनित यूएलबी	राज्य	चयनित यूएलबी
कुल शहरी स्थानीय निकाय	177	18	213	18
डीपीआर के लिए जारी कार्यादेश	117	09	209	11
तैयार की गई डीपीआर	66	06	194	11
अनुमोदित डीपीआर	62	04	194	11

जांच किए गए तीन शहरी स्थानीय निकाय जहां पर डीपीआर तैयार की गई थी, एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल के तहत निर्धारित मूल्यांकन पद्धति का पालन नहीं किया गया था क्योंकि दो शहरी स्थानीय निकायों (भिवाड़ी और डूंगरपुर) ने अलग-अलग स्थानों से और विभिन्न मौसमों में लगातार सात दिनों के बजाय तीन दिनों के लिए उत्पन्न अपशिष्ट के आंकड़े एकत्र किए और उनके आधार पर पूरे वर्ष के लिए आकलन किया गया। शहरी स्थानीय निकाय, बालोतरा ने भी लैंडफिल में निपटान किए गए अपशिष्ट को आबादी से विभाजित करके प्रति व्यक्ति उत्पन्न अपशिष्ट की गलत गणना की।

राज्य के और नमूना जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों के अनुमानित उत्पन्न अपशिष्ट के आंकड़ों में विसंगति आंकड़ों की अविश्वसनीयता और शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच निगरानी और समन्वय की कमी को दर्शाती है।

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी) संकेतकों के विश्लेषण से पता चला कि नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, अधिकांश प्रदर्शन संकेतकों की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थी।

राज्य स्तर पर अपशिष्ट का प्रसंस्करण केवल 11 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में 29 प्रतिशत से 35 प्रतिशत था। राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट की सीधी डम्पिंग 63 प्रतिशत से 79 प्रतिशत और नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में 65 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के बीच हुई।

इस प्रकार, राज्य स्तर पर शेष असंसाधित अपशिष्ट डम्प साईट पर डम्प नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट संग्रहण और वास्तविक अपशिष्ट संग्रहण के सूचित आंकड़ों में भिन्नता के दृष्टांत भी देखे गए थे।

यह पाया गया कि निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल को प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित आंकड़ों से भिन्न थी।

नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से 14 शहरी स्थानीय निकायों में धर्मकांटे स्थापित नहीं किए गए थे, जिसके कारण दैनिक संग्रहित अपशिष्ट का उचित मापन और निगरानी नहीं की जा सकी। आगे, शेष चार शहरी स्थानीय निकायों में आठ धर्म कांटे स्थापित किए गए थे। नगर परिषद, भिवाड़ी में कचरा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जाने में दर्शाए गए वाहनों में से एक यात्री वाहन पाया गया।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपशिष्ट की पहचान और पता लगाने की क्षमता में सहायता करते हैं। यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से, केवल तीन ने प्रत्येक घर में आरएफआईडी की स्थापना के लिए संबंधित बोली दस्तावेजों में प्रावधान किए। यह सूचित किया है कि नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर) के केवल दो जोनों में आरएफआईडी स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2021-23 के दौरान राज्य में केवल 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने द्वितीयक भंडारण सुविधाओं में अपशिष्ट का पृथक्करण किया। नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों ने 2021-22 दौरान द्वितीयक भंडारण सुविधाओं में ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं करने की सूचना प्रतिवेदित की और यह 2022-23 में कम होकर पांच रह गई।

नमूना जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकाय में स्वतरनाक अपशिष्ट को जमा करने के लिए न तो विशिष्ट केन्द्र स्थापित किए गए थे और न ही स्वतरनाक/सैनिटरी अपशिष्ट का स्रोत/द्वितीयक स्रोत पर पृथक्करण किया गया था। द्वितीयक भंडारण/डम्पस्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे दृष्टांत देखे गए जहां मिश्रित अपशिष्ट डम्प किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :



हालाँकि सभी 18 नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री रिकवरी सुविधाएं उपलब्ध थी, फिर भी, नमूना जाँच किए गए नौ शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री रिकवरी सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि सामग्री रिकवरी सुविधाओं अथवा द्वितीयक भंडारण सुविधाओं को कवर नहीं किया गया था अथवा बाड़बंधी नहीं की गई थी, जिससे आवारा जानवरों को अपशिष्ट भंडारण स्थलों के आसपास घूमने की छूट मिल गई। भंडारणों की नियमित रूप से सफाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट और कूड़ा बिखरकर सड़क के किनारे फैल जाता था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :




नमूना जाँच किए गए 17 शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट के इष्टतम उपयोग से संबंधित उपनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया और अपशिष्ट को लैंडफिल/डम्प साइटों में डम्प कर दिया। केवल एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, जयपुर) ने ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन पद्धति और खाद बनाने की तकनीकों का उपयोग किया।

नमूना जाँच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से छः ने फरवरी 2019 और दिसंबर 2019 के बीच विभिन्न क्षमताओं की कम्पोस्ट मशीनें क्रय की। इनमें से चार शहरी स्थानीय निकायों में कम्पोस्ट मशीनों का उपयोग उनकी स्थापना के बाद से नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :



अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में अत्यधिक विलंब के कारण, अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया जा सका और जिससे डम्पिंग स्थलों पर असंसाधित अपशिष्ट डम्प का ढेर हो गया।

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है। यह अवैज्ञानिक निस्तारण को रोकता है, जिसके कारण वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण होता है एवं यह धूल, कूड़े और अव्यवस्थित डम्पिंग को कम करता है। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट में किसी भी सिविल संरचना के निर्माण, मरम्मत और विध्वंस के परिणामस्वरूप भवन सामग्री और मलबा शामिल हैं। नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से चार (बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर) निर्माण और विध्वंस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के पात्र थे। केवल नगर निगम, उदयपुर ने राज्य में एक निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है। संचालन एवं रखरखाव की कमी के कारण यह संयंत्र भी कार्य नहीं कर रहा था। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना नहीं करने के कारण निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाया जा रहा है अथवा निचले इलाकों में निपटान किया जा रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :



नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से, 15 शहरी स्थानीय निकायों ने सैनिटरी लैंडफिल साइटों का निर्माण नहीं किया और खुले डम्पिंग स्थलों में नगरीय ठोस अपशिष्ट को डम्प कर दिया। यद्यपि नगर निगम जयपुर और नगर परिषद बारां ने क्रमशः वर्ष 2012 और 2016 में ₹12.06 करोड़ की लागत से लैंडफिल स्थलों का निर्माण किया है, तथापि प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना न किए जाने के कारण ये इनके निर्माण से अनुपयोगी रही जिसके परिणामस्वरूप नगरीय ठोस अपशिष्ट को खुले डम्पिंग स्थल में डम्प किया जा रहा था।

निगरानी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

जन स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यकलापों की योजना और निगरानी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन नमूना जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकायों में नहीं किया गया था।

नमूना जांच किए गए केवल छः शहरी स्थानीय निकायों ने ऑडियो, दृश्य, जन संचार और एडवोकेसी एवं आउटरीच गतिविधियां संचालित कीं। शेष 12 शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 11.99 करोड़ की अलग से धनराशि आवंटित करने के बावजूद भी 2017-18 से 2021-22 के दौरान कोई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां संचालित नहीं कीं।